



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

सं. विपणन/आर ए 0002/2016- भाग -1

6 जून, 2017

परिपत्र

विषय : भारत से यूरोपियन यूनियन में करी पत्तों के आयात हेतु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

संदर्भ : 1. इस कार्यालय का परिपत्र सं विपणन-क्यू यू सी0001/2013 दिनांक : 15-01-2013

2. इस कार्यालय का परिपत्र सं. विपणन/ई यू/सामान्य 0001/2016-विपणन दिनांक : 27-01-2016 व 16-02-2016

बोर्ड ने यूरोपियन यूनियन के निर्यात केलिए शुष्क करी पत्तों में प्रोफेनोफोस, ट्राइयाजोफोस और एंडोसलफान जैसे पैरामीटरों केलिए नाशीजीवनाशी अवशेषों पर अनिवार्य जांच प्रारंभ किया था, जो 18 जनवरी 2013 से प्रभावी रहा। बोर्ड ने करी पत्तों केलिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र न होने के कारण रैपिड एलेट सिस्टम फ़ोर फूड & फ्रीड (आर ए एस एफ एफ) पर यूरोपियन यूनियन से अधिसूचनाएं प्राप्त की हैं। ई यू विनियम 885/2014 के तहत, नाशीजीवनाशी अवशेषों द्वारा संदूषण के खतरे के कारण भारत से करी पत्तों के आयात के नियंत्रण केलिए आयोग ने विशेष शर्तें लगाई हैं और अनुबंध -II में निर्धारित अनुसार नमूना प्रमाणपत्र(प्रति संलग्न) के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी संलग्न होना चाहिए।

यह सूचित किया जाता है कि यूरोपियन यूनियन केलिए शुष्क करी पत्तों का निर्यात बोर्ड द्वारा जारी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और बोर्ड के विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की ई आई सी/ई आई ए द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ करना होगा।

सेवा में,

करी पत्तों के सभी रजिस्ट्रीकृत निर्यातक

सभी सीमाशुल्क आयुक्त

बोर्ड के सभी प्रादेशिक कार्यालय/गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला

निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद, दिल्ली

यह अनुरोध किया जाता है कि बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर करी पत्तों केलिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, विदेश व्यापार (यूरोप) प्रभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

आई एस एफ ई ए/ए आई एस ई एफ

ई डी पी अनुभाग - बोर्ड की वेबसाइट में प्रकाशनार्थ (अधिसूचना परिपत्र)